दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 13 अगस्त, 2019 को अपराह्न 2.30 बजे राजनिवास, दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल,
उपराज्यपाल दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरुन कपूर

सदस्य

1. श्री के विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री विजेंद्र गुप्ता
   विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष के नेता
4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस के बग्गा, विधायक
6. श्री मनीष अग्रवाल,
   नगर निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशिष्ट आमंत्रितगण

1. डॉ.जी नरेंद्र कुमार,
   प्रधान सचिव (एल एवं बी), रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार

Scanned with CamScanner

2. डॉ. राजेश कुमार
   प्रधान सचिव (आवास, प्रधान मंत्री आवास योजना, कॉमनवेल्थ गेम्स एवं स्पोर्टस)
3. श्री मनीष कुमार गुप्ता,
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.
4. श्री श्रीपाल,
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्यांकन), दि.वि. प्रा.
5. श्रीमती वर्षा जोशी
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
6. श्रीमती वर्षा जोशी
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार,
   उपराज्यपाल के प्रधान सचिव
2. श्रीमती चंचल यादव,
   उपराज्यपाल की विशेष सचिव
3. श्रीमती रूचिका कत्याल,
   उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव
4. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित गणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 58/2019

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 09.07.2019 को राजनिवास में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

फाइल संख्या एफ2(2)2019/एमसी/डीडीए

i) श्री सोमनाथ भारती द्वारा मद संख्या 47/2019 के पैरा नं. (viii) में की गई टिप्पणी को कार्यवृत्त में निम्न प्रकार से दर्ज किया गया है। "गुजर डेयरी में समुदाय भवन जीर्णावस्था में है।"

Scanned with CamScanner

कार्यवृत्त के पैरा में निम्नांकित को जोड़ा जाएः

"समुदाय भवन के प्रथम तल की मरम्मत/निर्माण किया जाना चाहिए।"

ii) श्री सोमनाथ भारती द्वारा मद संख्या 47/2019 के पैरा नं. xi में की गई टिप्पणी को कार्यवृत्त में निम्न प्रकार से दर्ज किया गया हैः-

"गुलमोहर पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन केन्द्र के लिए आबंटित भूमि काफी समय से लंबित है।"

उक्त कार्यवृत्त को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया हैः

"दि.वि.प्रा. को गुलमोहर पार्क में समुदाय भवन के निर्माण पर विचार करना चाहिए।"

iii) प्राधिकरण की दिनांक 9.7.2019 को राजनिवास में आयोजित बैठक के शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं परिचालित किया गया।

<u>मद सं. 59/2019</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 9.07.2019 को राजनिवास में हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(2)2019/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण के सदस्यों ने प्राधिकरण की दिनांक 9.07.2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैः-

<u>श्री विजेंद्र गुप्ता</u>

i) दि.वि.प्रा. के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों का रखरखाव एवं सफाई उचित ढंग से यदि आवश्यक हो, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से तब तक की जाए, जब तक सड़कों को लोक निर्माण विभाग/नगर निगमों के हाथों में न सौंप दिया जाए। संबंधित जोनल अभियंता इनके उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करें।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

Scanned with CamScanner

i) दि.वि.प्रा. बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आबंटित भूमि के पट्टे के पर्यवसान पर पुनःविचार करे।

ii) क्या विभिन्न अनुमेय सुविधाओं हेतु नर्सरी स्कूल के लिए निर्धारित भूमि के आबंटन के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता है।

iii) चूँकि भूमि का सीमांकन तीसरी बार किया गया है और खसरा नं. 277, हौज खास के संबंध में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है, दि.वि.प्रा. को आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए।

iv) गौतम नगर में सामुदायिक सेवाओं के लिए भूमि आवंटित की जाए, क्योंकि क्षेत्र में दि.वि.प्रा. की भूमि उपलब्ध है।

v) अर्जुन नगर में दि.वि.प्रा. के बड़े प्लॉट को इच्छित उद्देश्य के लिए विकसित नहीं किया जा सकता क्योंकि क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण कार्य हुआ है जिससे इसका पहुँच मार्ग संकुचित हो गया है।

vi) कुम्हार बस्ती स्थित दि.वि.प्रा. की भूमि की स्थिति की पुनः जाँच की जाए, जिससे इसके एक भाग का उपयोग समुदाय केन्द्र के लिए किया जा सके।

vii) दि.वि.प्रा. द्वारा रोज गार्डन, हौज खास में नाले के जल की सफाई के लिए एक मल जल शोधन संयत्र (एस.टी.पी.) लगाने पर विचार किया जाना चाहिए।

<u>श्री एस.के. बग्गा</u>

i) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में दि.वि.प्रा. पार्क का रख-रखाव असंतोषजनक है।

<u>श्री मनीष अग्रवाल</u>

i) करबला, लोधी रोड स्थित खसरा नं. 23,26,27 एवं 39 की दि.वि.प्रा. की भूमि की स्थिति बताई जाए।

ii) दि.वि.प्रा. के अधिकार क्षेत्र वाली सड़कों को लोकनिर्माण विभाग/नगर निगमों को सौंप दिया जाना चाहिए और कमी प्रभारों का भुगतान किया जाए।

<u>मद सं.60 /2019</u>

Scanned with CamScanner

दि.वि.प्रा. की भूमि पर मौजूदा पेट्रोल पम्प/गैस गोदाम को दूसरे स्थान पर ले जाने/ स्थानांतरण के लिए वर्तमान नीति विषयक दिशा-निर्देशों में संशोधन ।

एफ.13(47) 93/सीआरसी

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् एजेंडा मद को आस्थगित किया गया।

<u>मद सं.61/2019</u>

रोहिणी आवासीय योजना-1981 के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित आवासीय प्लॉटों पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ाना।

पीए/डीडी/एलएबी (आरओ) 2017/सीएफ/डीडीए

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 62 /2019</u>

व्यावसायिक निर्मित सम्पत्तियों के लए ऑनलाइन रनिंग स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव।

एफ.25(21)2018/सीई/पार्ट

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 63 /2019</u>

दि.वि.प्रा. की पुरानी योजना शाखा के अतंर्गत 23 नजूल-I सम्पदाओं में आवासीय के साथ-साथ मिश्रित भूमि-उपयोग के 90 वर्ष के समाप्त आवधिक पट्टे के नवीनीकरण की नीति से संबंधित प्रस्ताव।

ई.पीएस/सी(एलडी)/2010/ओ.एस.बी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

Scanned with CamScanner

मद सं. 64/2019

दिल्ली में जे जे क्लस्टरर्स के सर्वेक्षण एवं स्वस्थाने पुनर्विकास/पुनर्वास को आरंभ करने की अनुमति।

एफ.2(03)2019/पीएमएवाई(आईएसआर)

i) एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ii) यह निर्णय लिया गया कि संबंधित अभियंताओं को निदेश दिया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि दिविप्रा की भूमि पर कोई नई झुग्गी न बने। इसके अनुपालन में असमर्थ रहने पर संबंधित अभियंता को उत्तरदायी माना जाएगा। दिविप्रा की खाली पड़ी सभी भूमि को चारदीवारी/बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाना चाहिए।

मद संख्या 65/2019

योजना जोन एफ के अंतर्गत आने वाले मालवीय नगर, नई दिल्ली स्थित भविष्य निधि एंक्लेव की लगभग 18411.684 वर्ग मीटर भूमि के भूमि उपयोग को - 'मनोरंजनात्मक' से 'आवासीय' में परिवर्तित करने का प्रस्ताव।

एफ.20(03)/2019-एमपी

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 के अंतर्गत आपत्तियों/ सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद संख्या 66/2019

Scanned with CamScanner

लैंड पूलिंग जोनों में विकास के लिए गांवों की सूची में गांवो/(गांव का हिस्सा)(पार्ट विलेज) का समावेशन

एफ.15(7)/2013-एमपी

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसे संबंधित नगर निगमों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 507 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की तरह गांवो को अधिसूचित करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या 67/2019

दि.वि.प्रा. पेंशन निधि न्यास का एक 8.69% आई एल एंड एफ एस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एन सी डी में निवेश।

एफ.6(1)2015-16/अकाउंटस/(एम) पार्ट फाइल

मद सूची में निहित सूचना पर टिप्पणी की गई थी।

मद संख्या 68/2019

दि.वि.प्रा. अभियंता शाखा के अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों में संशोधन

एफ.डब्ल्यूएबी1(76)वॉल्यूम-41/सेक्रे-2017

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 69/2019

Scanned with CamScanner

वृद्धाश्रम के संस्थागत प्लॉटों के आबंटन से संबंधित नजूल नियम-1981(नियम-4) में संशोधन।

एफ.1(01)19/पॉलिसी/आईएल

मद सूची में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के नियम 4(2) में अन्य उपयोग परिसरों को सम्मिलित करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (त्र) द्वारा-प्रदत्त) शक्तियों के प्रयोग करते हुए नजूल नियम, 1981 में संशोधन करने के लिए मामले को आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

मद संख्या 70/2019

निलामी के द्वारा समूह आवास प्लाटों के निपटान के लिए नीति।

एफ.1(मिस.)/2019/जी एच/ऑक्शन

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 71/ 2019

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लाटों के समामेलन संबंध में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(1)/2013/एम पी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

Scanned with CamScanner

<u>मद संख्या 72/2019</u>

"द्वारका (के-II जोन) दिल्ली के लिए व्यापक गतिशील योजना" के कार्यो के लिए अपरिहार्य व्यय करना ।

एफ.1(332)2019/यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी

एजेंडा मद में निहित सूचना को नोट किया गया।

<u>मद संख्या 73/ 2019</u>

जोन 'ओ' में आने वाले क्षेत्र एश डिस्पोजल एरिया ऑफ बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में स्थित 26 हेक्टेयर भूमि उपयोग को इको पार्क के विकास के लिए "विनिर्माण" से "मनोरंजनात्मक" में प्रस्तावित परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव।

<u>एफ.3(56)/89-एमपी/पार्ट-I</u>

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों के आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या 74/2019</u>

योजना जोन-ई में आने वाले शास्त्री पार्क में स्थित 19800 वर्ग मीटर मापित क्षेत्र में समुदाय खेल केंद्र के विकास के लिए उसके भूमि उपयोग में मनोरंजन से 'सार्वजनिक' अर्ध-सार्वजनिक में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

एफ.20(7)2019-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत सुझावों/आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए जारी की जाए।

<u>मद संख्या 75/2019</u>

Scanned with CamScanner

कड़कड़डूमा में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण की 30 हेक्टेयर भूमि का विकास

एफ.11(01)2010/यूटी.टी.आई.पी.ई.सी/वॉल्यू.III(पार्ट)

i. एन.बी.सी.सी. के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले नए एम.ओ.यू. के आधार पर टी.ओ.डी. मानदंडों के अनुसार भूमि के विकास का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

ii. प्राधिकरण ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार के उत्तरवर्ती परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया । हस्ताक्षर के पश्चात अंतिम समझौता ज्ञापन को प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>मद संख्या 76/2019</u>

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में उद्योग अध्याय से संबंधित प्रस्तावित संशोधन- जी.एन.सी.टी.डी. द्वारा सुझाव दिया गया।

एफ.17(5))2007/एमपी

i) एजेंडा के भाग क में निहित प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि चिन्हित समूहों को छोड़कर संबंधित भूखंड में (कच्चा माल, निर्मित उत्पाद भंडारण आदि) जैसी औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो भंडारण करना पड़ता है उसके लिए प्लॉट में 10% सीमा में मालगोदाम की व्यवस्था की जाएगी।

ii) भाग ख में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या 77/2019</u>

निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ले-आउट प्लान के प्रक्रमण एवं परीक्षण के प्रभारों का निर्धारण।

Scanned with CamScanner

एफ(5)/2019/ एओ(ओ)पी/डीडीए

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य बिंदु'

श्री विजेंद्र गुप्ता

i) ओखला में हाल की और इससे पूर्व कोहाट में हुई आगजनी की घटना को देखते हुए भवनों में आपात निकास की व्यवस्था बनवाने के लिए एकीकृत भवन उप नियम (यू.बी.बी.एल.) की समीक्षा अनिवार्य है।

ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में आंगनों के ऊपर 7 फीट की ऊंचाई तक फाइबर शीट लगाने की अनुमति है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुमेय ऊंचाई 9 से 10 फुट तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती

i) दिल्ली विकास प्राधिकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तुग़लकाबाद में हटाए गए निर्माण के बदले में गुरु रविदास समिति के लिए वैकल्पिक भूमि के आबंटन पर विचार करना चाहिए।

श्री एस.के बग्गा

i) गाजीपुर पेपर मार्किट में उचित प्रकार से चार दिवारी एवं सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए।

ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके निर्वाचन क्षेत्र में अपनी भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए एवं जो भूमि लंबी मुकदमेबाजी के बाद खाली हुई है, नीलामी के माध्यम से उसकी उपयोगिता/विक्रय की संभावना को तलाश करनी चाहिए ।

श्री मनीष अग्रवाल

Scanned with CamScanner

i) झंडेवालान मंदिर के नजदीक चार गैस गोदामों का स्थान परिवर्तन प्राथमिकता पर करना चाहिए।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित गणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

Scanned with CamScanner